रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29, 1980/अग्रहायण 8, 1902
No. 373] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 29, 1980/AGRAHAYANA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1980

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

सा० का० नि० 666(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की प्रत्येक अधिसूचना को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थायी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	68/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तंभ 4 की प्रविष्टि में "3000.00 रु० प्रति टन" अंकों और शब्दों के स्थान पर "3500.00 रु० प्रति मीटरी टन" अंक और शब्द रखे जाएंगे।
2.	69/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना में, परन्तुक में, "3000.00 रु० प्रति मीटरी टन" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "3500.00 रु० प्रति मीटरी टन" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 183/80/के० उ० शु०/का० सं० 61/65/80-सी० एक्स०-2]

डी मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, 29th November, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 666(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government herby direct that each of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S.No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	68/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976	In the Table, annexed to the said notification, in the entry in column 4 against Serial No. 1 for the letters, figures and words "Rs. 3000.00 per metric tonne", the letters, figures and words "Rs. 3500.00 per metric tonne" shall be substituted.

2. 69/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976	In the said notification, in the proviso for the letters, figures and words "Rs. 3000.00 per metric tonne", the letters, figures and words, "Rs. 3500.00 per metric tonne" shall be substituted.

[No. 183/80-CE-F-No. 61/65/80-CX.2]

D. MEHTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980